जनपद-संतकबीरनगर   प्रेस विज्ञप्ति   दिनाँक   28.03.2025

थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए 01 अदद देशी पिस्टल 32 बोर व 03 अदद जिन्दा कारतूस 32 बोर के साथ 02 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री सत्यजीत गुप्ता* द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री सुशील कुमार सिंह* के मार्गदर्शन, क्षेत्राधिकारी मेंहदावल *श्री सर्व दवन सिंह* के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना मेहदावल *श्री सतीश कुमार सिंह* के नेतृत्व में थाना मेहदावल पुलिस द्वारा दिनाँक 27.03.2025 को रात्रि में रोडवेज मेंहदावल के पास से दो नफर अभियुक्तगण 01. सुरविन्द यादव पुत्र राधेश्याम यादव निवासी चौरी थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद सन्त कबीर नगर 02. राजेश यादव पुत्र चन्द्रकिशोर निवासी रक्शा थाना मेंहदावल जनपद सन्त कबीर नगर को 01 अदद देशी पिस्टल 32 बोर व 03 अदद जिन्दा कारतूस 32 बोर सहित बिना कागजात के 01 अदद मोटरसाईकिल पल्सर यूपी 58 एसी 9749 के साथ गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

पंजीकृत अभियोग-

01- मु0अ0सं0 108/2025 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना मेहदावल जनपद सन्तकबीरनगर।

गिरफ्तार अभियुक्तगण से बरामदगी का विवरण-

1. 01 अदद देशी पिस्टल 32 बोर।
2. 03 अदद जिन्दा कारतूस 32 बोर।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास- 01. राजेश यादव पुत्र चन्द्रकिशोर निवासी रक्शा थाना मेंहदावल जनपद सन्त कबीर नगर

1. मु0अ0स0 485/2020 धारा 352, 504, 354 भादवि थाना खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस टीम-

उ0नि0 श्री रामाश्रय प्रसाद, हे0का0 मोतीलाल यादव , का0 धीरेन्द्र प्रताप सिंह , का0 अनुराग सिंह , का0 ओमप्रकाश, का0 मिन्टू गुप्ता।

थाना महुली पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के मामले में वाँछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

जनपद में मिशन शक्ति अभियान के अन्तर्गत महिलाओं पर अपराधों के रोकथाम हेतु पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री सत्यजीत गुप्ता* द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री सुशील कुमार सिंह* के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी धनघटा *श्री प्रियम राजशेखर पाण्डेय* के निकट पर्यवेक्षण में थाना महुली पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 74/2025 धारा 64(1), 127(2), 115(2), 352, 351(3), 131, 333 बीएनएस व 5/6 पाक्सो एक्ट थाना मुहली जनपद संतकबीरनगर के मामले में वांछित अभियुक्त नाम पता सोनू सोनकर पुत्र स्व0 राजू सोनकर साकिन वार्ड नं0- 07 सवापार नगर पंचायत हरिहरपुर थाना महुली जनपद सन्तकबीरनगर को आज दिनाँक 28.03.2025 को उसके घर से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि वादिनी द्वारा दिनांक 24.03.2025 को थाना महुली पर वादिनी की नाबालिग पुत्री के साथ उक्त अभियुक्त द्वारा शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र देकर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। थाना मुहली पुलिस द्वारा साक्ष्य संकलन के आधार पर अभियोग उपरोक्त में सुसंगत धाराओं की बढोत्तरी व विलोपन किया गया तथा महिला अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए त्वरित कार्यवाही कर आज दिनांक 28.03.2025 को उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- वरि0उ0नि0 श्री रामकरन निषाद, का0 अनुराग कुमार गुप्ता, का0 सत्येन्द्र यादव।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 81 वाहनों से 79,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 28.03.2025 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 81वाहनों से 79000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।